




आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख के साथ
24.8.2021	<p>आवेदिका मदना पुरुस्टी, पति-स्व० विपिन पुरुस्टी, ग्राम-गुवा, पो०-गुवा, थाना-गुवा, जिला-प० सिंहभूम ने आवेदन देकर अनुरोध किया है कि मौजा-गुवा, थाना सं 20, खाता सं 82, प्लॉट सं 163, रकवा 0.3½ एकड़ भूमि वर्तमान पंजी II के भाग 1 पृष्ठ सं 13 में संधारित है जिसका लगान रसीद वर्ष 2019-20 का ऑफलाईन लगान भुगतान किया गया है परन्तु ऑनलाईन पंजी II में दर्ज नहीं है।</p> <p>संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी। </p>	
25.9.2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि हाल सर्वे खतियान में मौजा-गुवा, थाना सं 20, खाता सं 82, प्लॉट सं 163, रकवा 0.3½ एकड़ भूमि श्री संतोष कुमार दास, पिता- महेश कुमार दास के नाम पर दर्ज है। दलिल संख्या-3225/3200, नामांतरण वाद संख्या-21/79-80 के द्वारा मौजा-गुवा, थाना सं 20, खाता सं 82, प्लॉट सं 163, रकवा 0.3½ एकड़ भूमि आखान्डलो पुरुस्टी, पिता- विश्वनाथ पुरुस्टी के नाम पर दर्ज है। किन्तु ऑनलाईन पंजी II में दर्ज नहीं है। इसे ऑनलाईन पंजी II में दर्ज किया जा सकता है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अतः आदेश दिया जाता है कि में मौजा-गुवा, थाना सं 20, खाता सं 82, प्लॉट सं 163, रकवा 0.3½ एकड़ भूमि आखान्डलो पुरुस्टी, पिता- विश्वनाथ पुरुस्टी के नाम पर ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज करें। संबंधित मामला को e-court के माध्यम से निष्पादित करें। ऑन लाईन पंजी II के भाग सं. 1 पृष्ठ सं 82 में दर्ज किया गया।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी। </p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी। </p>	